



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126586-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट कर सं. - 2931 वर्ष 2026

मेसर्स रामा एंटरप्राइजेज

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : महेश द्विवेदी, विश्वास पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 39

माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति श्री स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत याचिका दायर की गई है:

"उत्प्रेषण की प्रकृति में कोई उपयुक्त रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी सं० 2 द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पारित संदर्भ सं० जेडए0903254048500 दिनांक 26.03.2025 के विवादित एकपक्षीय आदेश तथा पंजीकरण निरस्तीकरण हेतु जारी कारण बताओ सूचना दिनांक 11.02.2025 को निरस्त किया जाए तथा प्रतिवादीगण को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के निरस्तीकरण को निरस्त करते हुए उसका पंजीकरण पुनः बहाल करें।"



2. तथ्य और कानून के इसी तरह के मुद्दे, जैसा कि प्रस्तुत याचिका में शामिल है, इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा रिट टैक्स संख्या-546 वर्ष 2025 (मैसर्स एम वाई एंट भट्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पहले ही विचार और निर्णय लिया जा चुका है, जिसे दिनांक 13.05.2025 के अपने आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई है। दिनांक 13.05.2025 का आदेश यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"1. यह याचिका दिनांक 05.01.2024 (अनुलग्नक-1) के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

2. प्रस्तुतियां की गई हैं कि याचिकाकर्ता को लगातार छह महीने की अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के कारण पंजीकरण रद्द करने के लिए दिनांक 14.11.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और याचिकाकर्ता का पंजीकरण 14.11.2023 से निलंबित कर दिया गया था।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जारी किया गया नोटिस अन्य बातों के साथ-साथ 'आगे की प्रक्रिया के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारी सिस्टम जनरेटेड नोटिस, संपर्क क्षेत्राधिकार कार्यालय' को इंगित करता है।

4. इस बात पर जोर दिया जाता है कि नोटिस जारी करना ही कानून के विपरीत था क्योंकि अधिकार अधिकारियों में निहित होता है, न कि प्रणाली में और इसलिए, याचिकाकर्ता के पंजीकरण को रद्द करने वाले परिणामी आदेश को रद्द करने और रद्द करने का अधिकार है।

5. दिनांक 08.04.2025 के आदेश द्वारा, प्रतिपक्षियों को मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। जी.एस.टी.एन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के साथ-साथ निर्देश प्राप्त किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 'जारी करने वाले प्राधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के बिना नोटिस/आदेश जारी करने के बारे में परामर्श' का उल्लेख किया गया है। इसमें दिए गए संकेत यह हैं कि चूंकि प्राधिकरण डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से लॉग इन करता है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जो आदेश पारित किए गए हैं, उन पर डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. प्रस्तुत मामले में प्रतिपक्षियों द्वारा जिस सलाह पर भरोसा करने की मांग की गई है, वह गलत है, यह उस मामले में एक वैध स्पष्टीकरण हो सकता है जहां जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और कार्यालय इंगित किया गया है, हालांकि, उस पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं।

7. प्रस्तुत मामले में, जैसा कि यहां पहले उद्धृत किया गया है, नोटिस में जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम या कार्यालय नहीं है और जो संकेत दिया गया है वह यह है कि यह सिस्टम जनरेट किया गया है। चूंकि शक्ति अधिकारियों के पास है, न कि प्रणाली के पास, इसलिए नोटिस जारी करना जो सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है और जिस पर नाम/कार्यालय नहीं है, प्रस्तुत किए जाने वाले स्पष्टीकरण के आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

8. नतीजतन, चूंकि जारी किया गया नोटिस स्वयं अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांक 14.11.2023 की सूचना और दिनांक 05.01.2024 के आदेश, क्रमशः अनुलग्नक-2 और 1 को रद्द/अपास्त किया जाता है और रद्द/अपास्त किया जाता है।

9. प्रतिपक्षी कानून के अनुसार अवसर उत्पन्न होने पर एक नया नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। "

3. रिट टैक्स संख्या-546 वर्ष 2025 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.05.2025 के आदेश के आलोक में, प्रस्तुत रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित दिनांक 11.02.2025 के कारण बताओ नोटिस और परिणामी आदेश दिनांक 26.03.2025 को रद्द/अपास्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

10 जून 2026

प्राची